

पत्र है।

विक्रय पत्र के 7 बीघा भूमि का खातेदार कायदाकार घोषित किया जावे
के खास नंबर 53 मीन वर्तमान खास नंबर 53/5 रकबा 95.09 बीघा
भूमि उक्त भूमि माफिक विक्रय दर्ज नहीं हो रही है। इसलिये वादी को ग्राम
मूर्ख भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहन रख दी और उक्त भूमि रहन
संख्या 1 के नाम ही राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रही। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने
उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं करा और
उन्ही दिनों उक्त विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हुक्का को दे दी थी। लेकिन
1 था। वादी उक्त भूमि पर खरीद के दिन से आज दिन तक लगातार कब्जा
रही और उन्ही दिन मौके पर चल कर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कब्जा
बीघा भूमि वादी को जरूरी पत्रिका 08/03/1996 के दिनांक 08/03/1996
के उक्त भूमि खास नंबर 53 मीन वर्तमान खास नंबर 53/5 रकबा 95.09
के सिद्ध पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिद्ध में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने
नंबर 53 मीन वर्तमान खास नंबर 53/5 रकबा 95.09 बीघा भूमि सरहद
वाद का सार साक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी
जस्य लोक अदालत न्याय आपक द्वार-2017 के म कानसिंह की सिद्ध में

निर्णय

दिनांक :- 25/05/2017

प्रतिवादी संख्या 1 का 3 रूप उपस्थित
की रूप उपस्थित

वसुध वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम

- 3 श्रीमान तहसीलदार बाप
- कानसिंह की सिद्ध तहसील बाप
- 2 शाखा प्रमुख एस.बी.जी. बैंक
- तहसील बाप जिला जयपुर
- निवासी - मालमसिंह की सिद्ध
- 1 दुर्गासिंह पुत्र पार्थसिंह जालि राजपुर

प्रतिवादी संख्या 1 नाम

दिनांक :- 10/02/2016

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम (आ.प.प.स.)

तहसील प्रमुख कलक्टर बाप के म कानसिंह की सिद्ध

~~राज्य (विशेष) कानून~~
~~कानून कलक्टर~~
~~राज्य सरकार, जयपुर~~
 २५



कानूनिह की सिड अटल सेवा केन्द्र में सर इजलास सुनाया गया।
 निर्णय आज दिनांक 22.11.17 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2017 केम
 दाखिल दफतर हो।

पालना करे। हिकी पर्वा अलग से जारी हो। पञ्जावली फौजल सुमार होकर नंबर से कम।
 तहसीलदार बाप माफिक आदेश की पालना कर राजस्व रेकड अमल दरमद कर निर्णय की
 माफिक विक्रय पत्र के वादी को 7 बीघा भूमि का खातेदार काइलकार घोषित किया जाता है।
 सिड के खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/5 रकबा 95.09 बीघा भूमि में से
 वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कानूनिह की सिड पटवार क्षेत्र कानूनिह की

आदेश

साहित किया है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार योग्य होने स्वीकार किया जाता है।
 काइलकार घोषित किया जाना उचित है। वादी ने अपने वाद को तथ्यों एवं दरसावेजात से
 नंबर 53/5 मौजा कानूनिह की सिड इन कय की गई भूमि रकबा 7 बीघाका खातेदार
 है। इसी तथ्यों की प्रतिवादी संख्या 1 ने भी स्वीकार किया है। वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा
 था। इस की पुष्टि वाद पत्र के साथ पेश पंजीबंद विक्रय पत्र 08/03/1996 की प्रति से होती
 08/03/1996 को बेवान कर दी थी और मौक पर वादी को कब्जा भी संपूर्ण कर दिया गया
 भूमि बीघा भूमि में से 7 बीघा भूमि वादी को जयिष पंजीबंद विक्रय पत्र के दिनांक
 अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/5 रकबा 95.09 बीघा
 अवलोकन किया गया। वाद बहस मनन व अवलोकन में पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने
 पञ्जावली में अग्रय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पञ्जावली पर उपलब्ध रेकड का

राजस्व रेकड में दर्ज किया जाना उचित है।
 संख्या 3 ने स्वयं उप. होकर जबाब पेश किया कि माफिक विक्रय पत्र के वादी का नाम
 उप. हुये लेकिन उनकी और से कोई उजर ऐतराज लिखित में पेश नहीं किया। प्रतिवादी
 प्रस्ताव पेश रही भूमि पर सम्पूर्ण कर्सीसी की राशी अदा कर दूंगा। प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं
 निवेदन किया। और वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि वाद वादीगण स्वीकार होने के
 दावा पेश किया और माफिक विक्रय पत्र के वादी के नाम 7 बीघा भूमि दर्ज किये जाने का
 गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और वकील मदनीपाल शर्मा ने उप. होकर इकबालिया जबाब
 वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण का जबाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने